न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जौनपुर।

उपस्थित–सुशील कुमार शशि (एच0जे0एस0)

जमानत प्रार्थनापत्र सं0: 656/2026

सी0एन0आर0नं0–यू0पी0जे0पी0 010046462026

रतन धरिकार उर्फ बेनवंशी पुत्र जवाहरलाल
निवासी–पट्टीनरेन्द्रपुर, थाना सरपतहां, जिला जौनपुर।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य।

मु0अ0सं0–131/2026
धारा–126(2), 115(2), 352, 351(3), 109(1), 110, 324(4), 3(5), बी0एन0एस0,
व 4/25 आयुध अधिनियम।
थाना–सरपतहां, जिला जौनपुर।

16.06.2026

आवेदक/अभियुक्त रतन धरिकार उर्फ बेनवंशी द्वारा मु0अ0सं0–131/2026, धारा–126(2), 115(2), 352, 351(3), 109(1), 110, 324(4), 3(5), बी0एन0एस0, व 4/25 आयुध अधिनियम, थाना सरपतहां, जिला जौनपुर के मुकदमे में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 06.05.2026 समय लगभग 05:50 बजे शाम को वादी के भाई राजन कुमार व धमेन्द्र कुमार सिंह के साथ मोटरसाईकिल से अपने मौसी के घर दसगर पारा जा रहे थे कि सरकारी अस्पताल पट्टीनरेन्द्रपुर जौनपुर के पास आयूष सिंह, प्रियन सिंह, शिवम सिंह व एक व्यक्ति अज्ञात वादी के भाई राजन कुमार सिंह व धमेन्द्र कुमार सिंह की मोटरसाईकिल बीच रास्ते में रोक दिये तथा चारो भद्दी–भद्दी गाली देते हुये राजन कुमार सिंह के उपर जान से मार डालने की नीयत से उसके सिर में तीन बार व चेहरे पर चाकू से मार दिया जिससे वादी का भाई लहु लूहान होकर मौके पर ही गिर गया तथा धमेन्द्र सिंह को चारो लोगों ने लात, घूसों से ताबड़तोड़ मारते, पीटते गाली गुप्ता देते हुये जान से मारने की धमकी देते हुये मोटरसाईकिल को क्षतिग्रस्त कर मौके से फरार हो गये। उपरोक्त के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है उसका नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है। आवेदक के कब्जे से चाकू की फर्जी बरामदगी दिखायी गयी है। वादी मुकदमा के भाई को कोई गंभीर चोट नहीं आयी है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। आवेदक दिनांक 01.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उपरोक्त आधारों पर आवेदक को जमानत प्रदान किये जाने का निवेदन विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा अपराध गम्भीर प्रकृति का बताते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की याचना की।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के भाई को जान

Digitally signed by SUSHIL KUMAR SHASHI
Date: 2026.06.16 16:25:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

से मारने की नियत से उसके ऊपर चाकू से हमला करने का आरोप है, जिसकी पुष्टि वादी मुकदमा द्वारा अपने बयान में की गयी है। केस डायरी पर उपलब्ध अवलोकन मेडिकल रिपोर्ट में मजरूब राजन कुमार सिंह को 5 चोटे आना अंकित है जिसमें चोट संख्या 1 व 4 को निगरानी में रखकर एक्सरे की सलाह दी गयी तथा मजरूब धमेन्द्र सिंह को 2 चोटे आना अंकित है तथा चोट संख्या 2 को निगरानी में रखते हुये एक्सरे की सलाह दी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध चोटहिल राजन कुमार सिंह की एक्सरे रिपोर्ट में राईट हैण्ड–एन.ए.डी. एवं चोटहिल धमेन्द्र सिंह की एक्सरे रिपोर्ट में चेस्ट–एन.ए.डी. अंकित है। केस डायरी के पर्चा संख्या 4 पर रेडियालाजिस्ट डा0 ए0के0 पाण्डेय का बयान अंकित है जिसमें उन्होंने कथन किया कि मजरूबान को कोई फ्रैक्चर आना नहीं पाया गया है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है उसका नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है। अभियुक्त को दौरान विवेचना गिरफ्तार किया गया है। कथित बरामदगी एवं गिरफ्तारी का कोई जनसाक्षी नहीं बनाया गया है। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। मामले में सहअभियुक्त आयुष सिंह, सौरभ सिंह की नियमित जमानत सत्र न्यायालय द्वारा स्वीकार हो चुकी है। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त दिनांक 01.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों में गुण–दोष के आधार पर कोई विचार व्यक्त किये बिना अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त रतन धरिकार उर्फ बेनवंशी द्वारा मु0अ0सं0–131/2026, धारा–126(2), 115(2), 352, 351(3), 109(1), 110, 324(4), 3(5), बी0एन0एस0, व 4/25 आयुध अधिनियम, थाना सरपतहां, जिला जौनपुर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में अभियुक्त के द्वारा मु0 50,000/–रूपये का स्व बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभूति सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि की दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाय।

<u>दिनांक 16.06.2026</u>
लोकेश कुमार/–

(सुशील कुमार शशि)
जे0ओ0कोड–यू0पी0 2001
सत्र न्यायाधीश,
जौनपुर।